कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला–मुरैना म0प्र0

क्रमांक / निर्वा. / 2019 / 2371 मुरैना, दिनांक– 16.04.2019
17.4.19

::आदेश::

(अन्तर्गत धारा 144 (3) दण्ड प्रकिया सहिता 1973)

लोकसभा आम निर्वाचन 2019 के कार्यक्रम की घोषणा 10 मार्च 2019 को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा की जा चुकी है एवं दिनांक 16.04.2019 को अधिसूचना जारी कर नाम–निर्देशन पत्र लिये जाने का कार्य प्रारंभ हो चुका है। मुरैना जिले में नगर निगम, NHAI आदि निर्माण विभागों द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यो के लिए जमीन की खुदाई की जा रही है। जिससें जमीन के नीचे बिछाई गई केवल कट रही है व टेलीफोन, इंटरनेट लाइनें CCTNS काम करना बंद कर रही है। जिससे आयोग टोल फ्री नम्बर 1950 बंद हो जाता है। विभिन्न प्रकार के यू.आर.एल. पर भेजी जाने वाली जानकारी फीड नहीं हो पर रही है। तथा निर्वाचन का सम्पूर्ण सूचना तंत्र ध्वस्त हो जाता है।

सूदूर अंचलों में स्थापित मतदान केन्द्र पर पहुँच मार्ग एक ही होता है। जिस मार्ग पर गड्डे खोदे जाकर आवागवन अवरूद्ध हो जाने की संभावना है। इन गड्डो में मवेशियों के पीने के नाम पर पानी भी भरा जा सकता है। जिससे मतदान दलों मतदान केन्द्र पर पहुँचने में तथा मतदाताओं को मत डालने से रोका जा सकता है। साथ ही मतदान केन्द्रों के निरीक्षण दल भी निरीक्षण करने में असहजता महसूस कर सकते है। जिससे सम्पूर्ण मतदान प्रकिया बाधित हो सकती है।

उक्त परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुये यह आवश्यक समझती हूँ कि जमीन खुदाई करने पर प्रतिबंध लगाया जाकर खुदाई से उद्भूत होने वाली संभावित परिस्थितियों से निपटा जा सकें। क्योंकि कोई प्रतिबधात्मक आदेश आम जनता के संबंधित होता है इस प्रतिबधात्मक आदेश का प्रभाव आम जनता पर पडेगा । ऐसी स्थिति में आम जनता को सुना जाना भी विधि संगत होता है परन्तु पर्याप्त समय के अभाव में आम जनता को सुना जाना संभव नहीं है। ऐसी दशा में एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है एवं जिले में लोक शांति बनाये रखने के लिये मै, प्रियंका दास, जिला दण्डाधिकरी, मुरैना दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 144 में प्रदत्त शाक्तियों का प्रयोग करते हुये सम्पूर्ण मुरैना जिले में निम्नानुसार आदेश जारी करती हूँ :–

1– नगर निगम, मुरैना क्षेत्र एवं जिले के समस्त नगरीय निकायों में सीवर लाइन तथा NHAI, लोक निर्माण विभाग, म.प्र. सड़क विकास निगम, प्रधान मंत्री ग्रामीण सडक योजना, ग्रामीण यांत्रिकीय सेवा, जल संसाधन विभाग, रेल्वे आदि निर्माण विभागों द्वारा भूमि पर किसी भी प्रकार की कोई खुदाई न की जायें।

2– मतदान केन्द्र व उसके रास्तों पर किसी प्रकार की कोई खुदाई एवं जल भराव न किये जायें।

यह निषेधाज्ञा आज दिनांक से चुनाव सम्पन्न होने तक मुरैना जिला क्षेत्र में प्रभावशील रहेगी।

चुंकि उपर्युक्त आदेश आम जनता को संबंधित है एवं इस आदेश को एक पक्षीय जारी किया जा रहा है ऐसी स्थिति में इस आदेश की तामीली आम जनता को नोटिस बार्ड पर चस्पा कराकर, अखबारों में विज्ञप्ति जारी कराकर, ग्रामीण क्षेत्रों में डोंडी पिटवाकर कराई जावें।

चुंकि यह आदेश धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत जारी किया जा रहा है। उल्लंघनकर्ताओं के विरूद्ध धारा 188 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।

यह आदेश आज दिनांक 16.04.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदुमुद्रा से जारी किया गया।

(प्रियंका दास)
कलेक्टर एवं
जिला दण्डाधिकारी
जिला–मुरैना

पृ.क्रमांक / निर्वा. / 2019 / 2372 मुरैना, दिनांक– 16.04.2019
17.4.19

प्रतिलिपि :–

1. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, म0प्र0 भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।
2. आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना की ओर सादर सूचनार्थ।
3. पुलिस अधीक्षक, मुरैना की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. अपर मुख्य निर्माण अभियंता रेल्वे (उत्तर मध्य रेल्वे) ग्वालियर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत–मुरैना की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. अपर कलेक्टर, मुरैना की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. सहायक रिटर्निंग अधिकारी,......................................(समस्त) जिला–मुरैना ।
8. अनुविभागीय अधिकारी,(पुलिस)......................................(समस्त) जिला–मुरैना ।
9. आयुक्त, नगर निगम, मुरैना।
10. स्टेशन मास्टर रेल्वे स्टेशन मुरैना।
11. कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, एवं जल संसाधन विभाग, ग्रामीण यात्रिकीय सेवा, मुरैना की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. महाप्रबंधक म.प्र. राज्य सड़क विकास निगम,म.प्र. रा.ग्रा.स.वि.प्राधिकारण की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एनआईसी, मुरैना की ओर भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को जिले की बैवसाईट पर अपलोड करावें।
14. कार्यपालन यंत्री, NHAI, जिला–मुरैना की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
15. समस्त निर्माण एजेंसी कार्यालय..जिला–मुरैना की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
16. तहसीलदार..............................(समस्त) जिला–मुरैन।
17. संयुक्त संचालक, जनसम्पर्क, मुरैना की ओर समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशनार्थ।
18. स्टेनो–टू–कलेक्टर, मुरैना।

कलेक्टर एवं
जिला दण्डाधिकारी
जिला–मुरैना